न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Misc Review 2023-003 (GCMS 2023-291) Champa Vs Kirtaram

1. चम्पा पत्नी कोजाराम
2. जयनारायण पुत्र कोजाराम
3. बाबूलाल पुत्र कोजाराम
4. रेंवतंराम पुत्र कोजाराम
5. केशु पुत्री गुणेशराम
6. भैराराम पुत्र गुणेशराम
7. मांगीलाल पुत्र गुणेशराम
8. रिडमलराम पुत्र गुणेशराम
9. सुरजाराम पुत्र गुणेशराम
10. सिंणगारी पत्नी गुणेशराम
11. चैनाराम पुत्र गोमाराम
12. चम्पा पत्नी पाबुराम
13. नत्थीदेवी पत्नी मगाराम
14. बंशीलाल पुत्र बुधाराम
15. मंगलाराम पुत्र सोनाराम के कायममुकामान-
    - 15.1. चिमाराम पुत्र मंगलाराम
    - 15.2. प्रतापराम पुत्र मंगलाराम
    - 15.3. खुसालराम पुत्र मंगलाराम
    - 15.4. भोमाराम पुत्र मंगलाराम
    - 15.5. नारायणराम पुत्र मंगलाराम
    - 15.6. सुगनाराम पुत्र मंगलाराम
    - 15.7. चिमुदेवी पत्नी मंगलाराम
    - 15.8. मीरा पुत्री मंगलाराम
    - 15.9. साऊ पुत्री मंगलाराम
    - 15.10. पूनी पुत्री मंगलाराम
    - 15.11. सन्तु पुत्री मंगलाराम

    सभी जाति जाट, निवासी पल्ली प्रथम तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

प्रार्थीगण

ब

ना

म

1. किरताराम पुत्र भीखाराम जाति ब्राह्मण निवासी पल्ली द्वितीय, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
2. श्यामादेवी पत्नी रूपाराम
3. देवाराम पुत्र रूपाराम
4. प्रकाश पुत्र रूपाराम
5. ओमप्रकाश पुत्र रूपाराम
6. कानाराम पुत्र रूपाराम

13.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

7. मांगीबाई पुत्री रूपाराम
   सभी जाति ब्राह्मण, निवासीगण पल्ली द्वितीय
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
8. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार लोहावट

अप्रार्थीगण

रिव्यु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 47 नियम 1 सीपीसी बरखिलाफ निर्णय अदालत हाजा दिनांक 19 जून 2023 अपील संख्या 75/2023 अनवान किरताराम बनाम चम्पा इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-प्रार्थीगण
श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता-अप्रार्थीगण
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-अप्रार्थी संख्या 8

नि र्ण य

दिनांक : 13 अक्तूबर 2023

प्रार्थीगण ने अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 75/2023 किरताराम बनाम चम्पा इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 19 जून 2023 के खिलाफ यह रिव्यु प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 सपठित आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के तहत दिनांक 21 जून 2023 को प्रस्तुत किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट के समक्ष वादी-अप्रार्थी किरताराम पुत्र भीखाराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91, 92ए तथा 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम पल्ली स्थित आराजी खसरा संख्या 288 रकबा 252 बीघा बारानी दोयम के संबंध में प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन रहने के दौरान प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 15 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा

13.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

151 सीपीसी प्रस्तुत कर उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते हुए जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मार्च 2023 को उक्त मूल दावा खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ वादी-अप्रार्थी किरताराम द्वारा अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अपील पेश की गयी, जो अपील संख्या 75/2023 किरताराम बनाम चम्पा इत्यादि दिनांक 19 जून 2023 को निर्णित करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। अदालत हाजा के उक्त निर्णय के खिलाफ आलौच्य रिव्यु प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-प्रार्थी ने कथन किया कि मूल अपील में किसी भी पक्ष की ओर से स्थगन आदेश हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया, इसके उपरान्त भी अदालत हाजा द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 19 जून 2023 पारित कर प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड करते हुए मामले के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये जाने के साथ-साथ तब तक वादग्रस्त भूमि बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का अंतिम आदेश पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है क्योंकि वादी का वाद विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज होने के कारण रिमाण्ड प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा अपील न्यायालय द्वारा कानूनन जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय में वादी-अप्रार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया गया था, जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11 नवम्बर 2022 को खारिज किया गया है। जिसके खिलाफ अदालत हाजा में अपील संख्या 323/2022 में पक्षकारान को सुनकर दिनांक 15 दिसम्बर 2022 को अदालत हाजा द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया था। इसी प्रकार प्रस्तुत अपील संख्या 75/2023 में दिनांक 12 अप्रेल 2023 को अदालत हाजा द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया।

13.7.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 15 द्वारा वादग्रस्त भूमि वर्ष 1958 में कय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है, तब से आदिनांक निरन्तर बतौर रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्त है। कानूनन रिकार्डेड खातेदारान के खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। उक्त अपील में माननीय न्यायालय को मात्र यह तय करना था कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अथवा नहीं? जिस संबंध में अदालत हाजा द्वारा अपीलाधीन निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया, जो अदालत हाजा का क्षेत्राधिकार है, किन्तु इससे इतर मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी बाबत जो निषेधाज्ञा जारी की गयी है, वह प्राइमा फेसाई एरर अपारेण्ट ऑन दि फेस ऑफ द रिकार्ड की श्रेणी में आती है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-प्रार्थी ने 2019(1) आरआरटी 332, 2009आरआरडी 685, 2007 आरआरडी 417, 2009 आरआरडी 1329 व 2012(2) आरआरटी 1186 की नजीरें पेश की।

जबाब में अधिवक्ता-अप्रार्थी ने जाहिर किया कि रिव्यु प्रार्थनापत्र का स्कोप अत्याधिक सीमित होता है तथा इसके जरिये मात्र उन्हीं त्रुटियों का सुधार किया जा सकता है जो कि "प्राइमा फेसाई एरर अपारेण्ट ऑन दि फेस ऑफ रिकार्ड" की श्रेणी में आती है। प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थनापत्र में जो आक्षेप उठाये गये है, उनका विनिश्चयन बिना तर्क-वितर्क नहीं किया जा सकता, अतः वे "प्राइमा फेसाई एरर अपारेण्ट ऑन दि फेस ऑफ रिकार्ड" की श्रेणी में नहीं आते है। 2010(2) आरआरटी 1344 एवं 2023(1) आरआरटी 409 उद्धरित करते हुए अधिवक्ता-अप्रार्थी ने जाहिर किया कि रिव्यु की शक्तियों का उपयोग रेकार्ड पर प्रत्यक्ष त्रुटि को सही करने हेतु किया जा सकता है, इन शक्तियों का उपयोग करते हुए न्यायालय द्वारा निर्णय को पुनः नहीं लिखा जा सकता है। रिव्यु कोई अपील नहीं है, अतः दोषपूर्ण निर्णय भी रिव्यु की शक्ति का उपयोग करने हेतु आधार नहीं हो सकता है। अधिवक्ता-अप्रार्थी ने यह भी जाहिर किया कि अपील मीमो के अन्त में इस्तदुआ करते हुए अपीलाण्ट की ओर से स्पष्ट निवेदन किया गया है

13.x.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि ... अन्य उचित आदेश जो अपीलाण्ट के पक्ष में हो, पारित किया जावे। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा द्वारा अपने स्वविवेक का उपयोग करते हुए न्यांयहित में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वादकरण रोकने एवं वादग्रस्त आराजी को मूल वाद के निस्तारण तक संरक्षित किये जाने के निमित्त आवश्यक निर्देश दिये गये है। न्यायालय के स्वविवेकाधिकार संबंधित शक्तियों के संबंध में तर्क-वितर्क के बिना कोई निश्चित राय इन दिये गये निर्देशों बाबत कायम नहीं की जा सकती है। अतः मामला प्राइमा फेसाई एरर अपारेण्ट ऑन दि फेस ऑफ रिकार्ड की श्रेणी में नहीं आता है। अतः प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिव्यु का स्कोप अत्याधिक सीमित होता है और रिव्यु के माध्यम से "प्राइमा फेसाई एरर अपारेण्ट ऑन दि फेस ऑफ रिकार्ड" का ही परिमार्जन किया जा सकता है। सरल शब्दों में "प्राइमा फेसाई एरर अपारेण्ट ऑन दि फेस ऑफ रिकार्ड" से तात्पर्य किसी ऐसी त्रुटि अथवा भूल से है जो बिना किसी वाद-विवाद के अभिलेख के सरसरी तौर पर अवलोकन मात्र से प्रकट होती हो। इस संबंध में अधिवक्ता-अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत नजीरें 2010(2) आरआरटी 1344 एवं 2023(1) आरआरटी 409 में भी माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मत उल्लेखनीय है।

यह कहा जाना कतई सही नहीं है मूल अपील में किसी भी पक्ष की ओर से स्थगन आदेश हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया, क्योंकि अपील मीमो के अन्त में इस्तदुआ करते हुए अपीलाण्ट की ओर से स्पष्ट निवेदन किया गया है कि ... अन्य उचित आदेश जो अपीलाण्ट के पक्ष में हो, पारित किया जावे। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा अपने स्वविवेक का उपयोग करते हुए न्यायहित में उचित आदेश पारित किया जा सकता है। आलौच्य मामले में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वादकरण रोकने एवं वादग्रस्त आराजी को मूल वाद के निस्तारण तक संरक्षित किये जाने के निमित्त न्यायालय द्वारा अपने स्वविवेक का सदुपयोग करते हुए इस प्रकार का

13.7.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश पारित किया गया है। जो किसी भी स्थिति में प्राइमा फेसाई एरर अपारेण्ट ऑन दि फेस ऑफ दि रिकार्ड की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि इस संबंध में न्यायालय के स्वविवेकाधिकार संबंधित शक्तियों के संबंध में तर्क-वितर्क की आवश्यकता है। जो आक्षेप अधिवक्ता-प्रार्थी ने अदालत हाजा द्वारा पूर्व में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किये जाने के बावजूद भी मूल अपील का निस्तारण करते हुए स्थगन आदेश पारित किये जाने बाबत उठाया है, वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि किसी भी न्यायालय द्वारा पूर्व में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्येनजर पारित कोई आदेश बाद के किसी प्रकरण में उसी न्यायालय के लिए नजीर नहीं माना जा सकता है। दिनांक 12 अप्रेल 2023 को पारित आदेश मूल अपील के साथ प्रस्तुत अंतरिम स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत जारी किया गया। चूंकि अंतरिम स्थगन प्रार्थनापत्र के स्तर पर प्रकरण का सरसरी तौर पर विवेचन करते हुए पारित किया जाता है जबकि मूल अपील का निस्तारण करते समय विचारण न्यायालय का अभिलेख भी प्राप्त किया जाता है और उभयपक्षकारान की सुनवाई के बाद मामले के तथ्यों व परिस्थितियों का गहन अध्ययन व मनन कर आदेश पारित किया जाता है। अतः ऐसा कोई नियम अथवा प्रचलित रिवाज नहीं है कि अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने की स्थिति में मूल अपील के निस्तारण के समय किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हो।

उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में आलौच्य निर्णय के संबंध में किसी भी प्रकार से प्राइमा फेसाई एरर अपारेण्ट ऑन द फेस ऑफ द रिकार्ड नहीं पायी जाती है। अतः प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज किया जात है एवं अदालत हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 जून 2023 यथावत रखा जाता है।

आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.X.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर